न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 23/2022 (अपील)
GCMS No : 2022/61

अनवान

1. व्यवस्थापक वृहत बहुउद्देशिय सहकारी समिति(लैम्पस) फलासिया जरिये व्यवस्थापक श्री शम्भुलाल पिता श्री शंकरलाल पता लैम्पस ग्राम फलासिया तह.झाडोल जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का फलासिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर।
2. श्री प्रकाश पिता भंवरलाल मेघवाल, निवासी ग्राम फलासिया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. थानाधिकारी, थाना फलासिया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री राजेश जाजोदिया, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री मनीष शर्मा , अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 ।
3. राजपैरोकार ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरुद्ध तहसीलदार झाडोल के प्र.स. 2/21(धारा 183बी रा.का.अ.) दि.29.08.2022

* निर्णय *

दिनांक– 31.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय स्थगन प्रार्थना पत्र के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा कार्यालय तहसीलदार झाडोल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फलासिया में उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1124 में स्थित है जिस पर अपीलाण्ट लैम्पस फलासिया द्वारा बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर संस्था के भवन का निर्माण कर दिया ह। जिसे हटाया जावे। पटवारी द्वारा पेश पर्चा मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दौराने विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की साक्ष्य रिकोर्ड पर ली गई जिसमें अपीलाण्ट ने विवादित भूमि के बेचान नामे की प्रति एवं जमाबन्दी की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें आराजी संख्या 1124 में एवं 1123 में 0.05 है. भूमि आबादी दर्ज होना दर्शित है। इस संबन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व जमान्दी की नकल तलब कराये जाने का निवेदन किया था

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजीयात के संबंध में स्वंय द्वारा संधारित उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित स्थिति … विधि की गम्भीर चूक करते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया व आबादी भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकन होना मानने के बावजूद विचारण करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही हेतु थाना फलासिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तहरीर जारी करते हुए अपीलाण्ट को अतिचारी मानते हुए बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त अपील आलौच्य आदेश दिनांक 29.08.2022 को अपास्त कराए जाने हेतु निम्नांकित आधार पर पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश की गई शिकायत के तथ्यों का अवलोकन करने में गम्भीर चूक कारित की है जिससे कुलिया मामला प्रथम दृष्टया ही विधि विपरीत विचारण किय जाने का होना प्रमाणित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत शिकायत में अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने की शिकायत अंकित की गई है, जबकि आराजी संया 1124 के संबंध में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2015 में आराजी संख्या 1124 के संबंध में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2015 मे आराजी संख्या 1124 में आबादी दर्ज भूमि की पत्थरगढी एवं आबादी भूमि की तरमीम किये जाने के आदेश किये गये है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1123 में भी 0.05 है. भूमि वर्षो से राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है तथा उपरोक्त दोनो आराजीयात में आबादी दर्ज भूमि के हिस्से को सम्मिलित करते हुए अपीलाण्ट द्वारा जनउपयोगार्थ लैम्पस भवन का निर्माण किया गया है तथा वर्ष 2012–2013 में लैम्पस भवन का जीर्णोद्धार किया गया है। उपरोक्त तथ्य दस्तावेजी रिकोर्ड से तथा मौके की स्थिति अनुसार स्पष्ट दर्शित है। इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश स्पष्ट रूप से विधि की चूक होने से खारिज किये जाने योग्य है। पिठासीन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2021 एवं 18.05.2022 का राजस्व रिकार्ड से सत्यापन किये बिना अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए सूचना पत्र जारी कर विधि की गम्भीर चूक व त्रुटि कारित की है। विवादित पर्चा मौका रिपोर्ट जो प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु आधार मानी गई है उक्त रिपोर्ट में अपीलाण्ट लैम्पस के 324 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित भवन का उल्लेख है, यह बडी विचित्र स्थिति है कि उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पर अपीलाण्ट के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है, रिपोर्ट अपिलाण्ट को अवगत कराये बिना बनोई गई है। जबकि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 जो उत्तरदायी अधिकारी है उनका दायित्व था कि वे निष्पक्ष जांच रिपोर्ट बनाते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने दायित्व में चूक कारित कर राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 1123 व 1124 ग्राम फलासिया की क्रमश 0.05 सवं 0.05 है. भूमि आबादी दर्ज होने का तथ्य विलोपित कर केवल कृषि भूमि के संबंध में उल्लेख कर रिपोर्ट पेश कर दी जिससे विधिक पैचिदगी उत्पन्न हो गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित की गई चूक इस तथ्य

…तिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

से भी प्रमाणित है पर्चा मौका रिपोर्ट में 324 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित अपीलाण्ट लैम्पस के भवन का उल्लेख है किन्तु उसकी चर्तुदिक सीमाए अंकित नहीं की गई है। लैम्पस का भवन मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा उक्त स्थान वर्षो से विकसीत आबादी क्षैत्र है। किन्तु दुंमंशा से अपीलाण्ट को क्षति कारित करने की नियत से मौका पर्चा रिपोर्ट अपूर्ण तथ्य अंकित करते हुए प्रस्तुत कर दी गई है। इन तथ्यों को आदेश में संकलित करने के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधिक स्थिति व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आबादी दर्ज भूमि पर वर्षो से संचालित अपीलाण्ट लैम्पस के भवन को अवैध घोषित करते हुए उन्हे अतिचारी घोषित करते हुए विधि ब्राह्य आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि वे प्रकरण का विचारण प्रारम्भ करने से पूर्व इस तथ्य को अवलोकित करते कि आबादी भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना वर्जित है इस आधार पर प्रकरण को प्रारम्भिक स्तर पर ही निस्तारित कर देते। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आबादी भूमि को कृषि भूमि मानकर विचारण प्रारम्भ कर दिया गया जिसके संबंध में अपीलाण्ट की ओर से पेश दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया ना ही विचारण के क्षैत्राधिकार के संबंध में विधिवत् जांच कर विचारण प्रारम्भ किया जबकि क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का बिन्दु निर्धारित करने का दायित्व अधीनस्थ न्यायालय का था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर चूक कारित की है तथा इसके पश्चात विधि बृहाय विचारण करते हुए अपने आदेश में यह अंकित कर दिया है कि अपीलाण्ट साक्ष्य से निर्दोषिता सिद्ध करने में असफल रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में आराजी संख्या 1124 के पूर्वी भाग पर 324 वर्गमीटर भूमि पर भवन बिना किसी विधिक आज्ञा के निर्मित करने का कथन अंकित किया है। आराजी संख्या 1124 में आबादी दर्ज भूमि के राजस्व रिकोर्ड में एवं नक्शाट्रेस में पत्थरगढी के पश्चात विधिवत अंकन किये जाने संबंधी आदेश प्रकरण संख्या 113/2012 में दिनांक 22.06.2015 को पारित किया गया है। जिसकी प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 07.12.2016 को विधिवत प्रेषित की गई है तथा उक्त आदेश की प्रति माननीय न्यायालय आप को भी प्रेषित की गई है। स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय द्वारा संधारित रिकोर्ड का अवलोकन नहीं किया है तथा बिना विधिक स्थिति की जांच के आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तथ्य भी उल्लेखनिय है कि जिस भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय से उच्चतर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हो, उक्त आदेश को मानने हेतु अधीनस्थ न्यायालय बाध्य है तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विचारण रेस्ज्यूडिकेटा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर विधि द्वारा बाधित है। साथ ही उपरोक्त मामले में डोक्ट्रीन ऑफ मर्जर अर्थात उच्चतर न्यायालय के आदेश अधीनस्थ न्यायालय पर प्राभावी होते है के प्रावधान अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि की दृष्टि में पूर्णतया शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकनार्थ अपीलाण्ट के निर्मित लैम्पस भवन की भौतिक स्थिति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

करने वाले छायाचित्र तथा राजस्व रेकार्ड की प्रतियां एवं पंजीकृत विकय पत्र की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी, उक्त पंजीकृत विकय पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए स्वीकार करने से इंकार किया है कि उक्त विकय पत्र अतिक्रमण को विधि सम्मत करने की कुचेष्ठा मात्र है जो निन्दनीय विषय है। उपरोक्त कथन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के परिक्षैत्र से बाहर जाकर अंकन किये है, पंजीकृत दस्तावेज रिकोर्ड पर जाहिर होने पर उक्त दस्तावेज की विधि मान्यता के संबंध में घोषणा किये जाने के अनुतोष केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान किये जा सकते है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा पेश पंजीकृत विकय पत्र का संज्ञान लेने के बावजूद उक्त दस्तावेज को शून्य मानते हुए आदेश पारित कर दिया है जबकि विधि अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में विक्रेता द्वारा पंजीकृत कराया गया दस्तावेज जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित आराजीयात की आबादी भूमि की तफ्सील उल्लेखित है पंजीयन की दिनांक से ही तदन्तर प्रभावी है तथा उक्त दस्तावेज को शून्य मानते हुए पारित किया आदेश निष्प्रभावी होकर शून्य प्रभावी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट लैम्पस ग्राम फलासिया में कृषको के उत्थान के लिये निगमित संस्थान है जो वर्षो से ग्राम विकास के कार्यो में जुडे हुए है। उक्त भवन में कई कार्यक्रम आयोजित होते है जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी व अधीनस्थ न्यायालय एवं उनके समकक्ष अधिकारीगण उपरोक्त भवन में आते रहते है। विगत 35 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत लैम्पस भवन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति किसी के द्वारा जाहिर नहीं की गई है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दुमंशावश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मार्फत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को संज्ञान में लाये बिना आदेश पारित किया है, जिसे खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक होकर पूर्णतया न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपील में अल्लेखित आदेश दिनांक 29.08.2022 को अपास्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पेश की गई मिथ्या रिपोर्ट पेश करने से रेस्पोडेन्ट स्मरण संख्या 2 के विरूद्ध आवश्यक आदेश पारित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की जावे व दण्डात्मक कार्यवाही संस्थित कराये जाने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में की गई चूक हेतु उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आदेशित फरमाई जावे । अन्य कोई दाद या उचित अनुतोष जो अपीलाण्ट के हित में हो दिलाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि लैम्पस का भवन वर्षो पूर्व बना हुआ है। अभी तक कोई आपत्ति नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

आयी। अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं दस्तावेज का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। मेरी भूमि पर अतिक्रमण करने से हटाने का आदेश पारित किया है सही है। अपीलाण्ट का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। मूल प्रकरण के अवलोकन से आ.न. 1124 एवं 1123 आबादी होना बताया जिसमें आ.न. 1124 में अपीलाण्ट का लैम्पस का भवन बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा प्र.स. 2/2021 अनवान पटवारी हल्का फलासिया बनाम वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति लैम्पस फलासिया होकर निर्णय दिनांक 29.08.2022 को पारित किया गया। प्रकरण में लैम्पस का भवन आ.न. 1124 में होने का उल्लेख करते हुए अपीलाण्ट को अतिचारी मानकर कब्जा हटाने के आदेश पारित किए गये है। अपीलाण्ट द्वारा आराजी संख्या 1124 एवं 1123 को आबादी होना बताया तथा जनउपयोगार्थ लैम्पस भवन का निर्माण होकर वर्ष 2012–13 में लैम्पस भवन का जीर्णोद्धार किये जाने का कथन किया है। अपील के साथ भू. प्रबन्ध का मिलास खसरा संवत 2037 का पेश किया जिसमें आराजी संख्या 1124 में आबादी का अंकन किया हुआ है। चूंकि अपीलाण्ट का भवन राजकीय होकर जनउपयोगार्थ कार्य में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट के दस्तावेजो के अवलोकन के प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया है। राजकीय सम्पति होने से अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई एवं राजहित को देखते हुए सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में निर्णय कर दिया गया है, अपीलाण्ट के भवन को हटाया जाता है तो राजहित प्रभावी होगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण संख्या प्र.स. 2/2021 अनवान पटवारी हल्का फलासिया बनाम वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति लैम्पस फलासिया में निर्णय दिनांक 29.08.2022 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)